बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

विभाग के पत्रांक-1199, दिनांक 11 मार्च 1977 द्वारा की गई थी जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि वर्ष 1988 में 187.67 करोड़ रुपये हैं जनवरी 1990 तक 62.10 करोड़ रु० खर्च हुए। प्रतिवर्ष 5 करोड़ से आठ करोड़ निधि की उपलब्धता के अनुसार व्यय का प्रावधान किया जाता है। योजना कार्य प्रगति पर है।

(2) पर्याप्त निधि के अभाव एवं वन भूमि तथा गैर मजरूआ जमीन के हस्तान्तरण नहीं होने के कारण योजना को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है।

गैर मजरूआ जमीन एवं वन भूमि का हस्तान्तरण एवं पर्याप्त निधि उपलब्ध होने पर इस योजना को वर्ष 1995 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

श्री चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई

अ०सू०-14. श्री शशि कुमार राय : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्त श्री आर० एन० चौधरी को बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल को-आपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना में लेखा पदाधिकारी के पद पर फरवरी 1990 से पूर्ण नियुक्त किया गया है, जो सरकारी नियम के विरुद्ध है;

(2) क्या यह बात सही है कि निबंधक के पत्रांक-5112, दिनांक 4 मई 1988 द्वारा भी सहकारी संस्थाओं में ऐसी नियुक्तियों पर स्पष्ट रूप से रोक लगाया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि ऐसी नियुक्तियों पर होने वाले व्यय के लिए संस्था के निदेशक मंडल प्रशासक को अधिभारित करने का प्रावधान है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री आर० एन० चौधरी को कार्य से हटाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग : (1) श्री आर० एन० चौधरी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता विभाग के आदेश संख्या-2537, दिनांक 9 अगस्त 1989 द्वारा फेडरेशन में लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किये गये थे, जो 31 जनवरी 1990 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

(2) बिहार राज्य औद्योगिक सहकारी संघ के प्रशासक ने अपने आदेश संख्या-425; दिनांक 29 जनवरी 1990 द्वारा श्री चौधरी को संघ के कार्य हित में तबतक सेवा प्रदान करने का आदेश इस शर्त्त के साथ पारित किया कि जबतक उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था नहीं होती है तबतक वे अपनी सेवा संघ को प्रदान करते रहेंगे तथा उन्हें पारिश्रमिक सरकारी नियमानुसार विभाग की अनुमति के पश्चात् ही देय होगा।

(3) यह बात सही है कि विभागीय आदेश सं०-5112, दिनांक 4 मई 1988 द्वारा सहकारी संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगायी थी। तत्पश्चात् सरकारी आदेश संख्या-1667, दिनांक 23 मई 1989 द्वारा इस रोक को समाप्त कर दिया गया है। अनियमित एवं नियम विरुद्ध नियुक्ति होने पर सहकारी संस्था के निदेशक/प्रशासक को अधिभारित करने का प्रावधान है।

(4) श्री आर० एन० चौधरी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, दिनांक 31 जनवरी 1990 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं। बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 161 (बी) के प्रावधान के अनुसार एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को किसी भी संस्थान/प्रतिष्ठान में पुर्नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके इस पद का वेतन तथा पेंशन जोड़कर सरकारी सेवा में उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्री आर० एन० चौधरी की नियुक्ति सम्प्रति तदर्थ रूप से की गयी है एवं उन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकारी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के उपरान्त नियमित रूप से उन्हें नियुक्त होने पर ही नियमानुसार वेतन भुगतान किया जायेगा।

जलापूर्त्ति की व्यवस्था

अ०सू०-19. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित सन्दलपुर ट्रेनिंग ग्राउन्ड में जलापूर्त्ति हेतु एक पानी टंकी का निर्माण वर्ष 1980-81 में किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण के पश्चात् आज तक इस टंकी से जलापूर्त्ति नहीं हुई और टंकी खराब पड़ी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस टंकी से जलापूर्त्ति कराने का विचार कब तक रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?